न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला–जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी :(पुखराज कांसोटिया )RAS
राजस्व अपील संख्या :– 11/2023

अपीलार्थी :–

1.श्रीमती भीखी देवी पुत्री स्व. श्री देवाराम, पत्नी श्री चेनाराम सोलंकी, जाति माली, निवासी बडेर बास, खरचिया, खैरवा, जिला पाली, हाल निवासी मालियों का बास, सांगरिया तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम्

प्रत्यर्थीगण :–

1. गंगाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम,
2. रामूराम पुत्र स्व. श्री देवाराम,
3. किशनाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम,
4. कानाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम,
   सभी जातियान माली, निवासीयान् मालियो का बास, सरकारी स्कूल के पास, सांगरिया तहसील व जिला जोधपुर।
5. श्रीमती समा पुत्री स्व. श्रीराम, पौत्री स्व श्री देवाराम, पत्नी श्री कैलाश सोलंकी, जाति माली, निवासी नवानी बेरा, सूरसागर, जोधपुर।
6. राजेन्द्र पुत्र श्री पेनाराम व स्व. श्रीमी फैफी दोहिता स्व देवाराम
7. मूलाराम पुत्र श्री पेनाराम व स्व. श्रीमी फैफी दोहिता स्व देवाराम
8. राजु पुत्र श्री पेनाराम व स्व. श्रीमी फैफी दोहिता स्व देवाराम
   सभी जातियान् माली, निवासीगण मारवाड जंक्शन जिला पाली।
9. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 118 दिनांक 13.05.1986 ग्राम भाकरासनी, जो सरपंच ग्राम पंचायत गुडा विश्नोईयान्, पं स. लूणी जिला जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित :–
अपीलार्थीनी की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकरसिंह जी
प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अनोप सिंह जी,
प्रत्यर्थीनी सं. 5 की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन शर्मा
प्रत्यर्थी सं. 9 की ओर से राजकीय पैरोकार
शेष प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही

निर्णय दिनांक 28/11/2023.

अपीलार्थीनी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत गुडा विश्नोईयान, पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर द्वारा दिनांक 13.05.1986 को पारित नामान्तरकरण सं. 118 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील म्याद बाधित होने के कारण अपील के साथ अपीलार्थीनी द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। जिसमे प्रत्यर्थीगण को जरिये सामान्य एवं रजिस्टर्ड डाक के नोटिस प्रेषित किये गये एवं प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 4 तथा प्रत्यर्थीनी सं. 5 द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब मय दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये। प्रत्यर्थीनी सं. 5 द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को सर्वप्रथम सुनकर उस पर आदेश पारित करने हेतु विवेदन

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner

किया गया। सिविल प्रकिया संहिता की धारा 41 (3 क) के अनुसार एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयो द्वारा अपने न्याय निर्णय मे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपील के कालावधि व्यतीत होने के पश्चात् धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने पर गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व म्याद माफी के प्रार्थना पत्र को तय किया जाना आवश्यक है। जिस कारण इस आदेश के द्वारा अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया जा रहा है।

अपीलार्थीनी द्वारा हस्तगत अपील आलौच्य नामान्तरकरण के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अपीलार्थीनी व प्रत्यर्थीगण की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां खसरा नं. 74 रकबा 33 बीघा, खसरा नं. 81 रकबा 39 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर मे आयी हुई है। अपीलार्थीनी व प्रत्यर्थी सं. 1 से 8 एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य है जो कि श्री देवाराम के वारिसान्/उत्तराधिकारीगण है। जिसकी वंशावली मीमो ऑफ अपील मे दी गई है, जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि अपीलार्थीनी एवं प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 8 के पूर्व पुरूष देवाराम के नाम से वक्त सैटलमेंट से चली आ रही थी एवं उनके देहान्त के पश्चात अपीलार्थीनी एवं प्रत्यर्थी सं. 1 से 8 बहैसियत विधिक वारिसान् खातेदार काश्तकार हो गये एवं उनके समस्त वारिसान् का नाम दर्ज होना चाहिए था किन्तु प्रत्यर्थी सं. 1 से 5 ने अपीलार्थी को मुगालते मे रखते हुए केवल अपने नाम आलौच्य नामान्तरकरण सं. 118 दिनांक 13.05.1986 को दर्ज करवाया लिया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीनी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। जिसके संबंध मे अपीलार्थीनी द्वारा 5 म्याद अधिनियम प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलार्थीनी की गैर हाजरी मे पारित किया गया जिसकी सुनवाई का कोई नोटिस अपीलार्थीनी को नही दिये जाने के कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण की कोई जानकारी अपीलार्थीनी को नही थी। अभी दिनांक 03.06.2023 को अपीलार्थीनी मुख्यमंत्री राहक कैम्प मे कृषि अनुदान का रजिस्ट्रेश करवाने गई तो अपीलार्थीनी को कहा गया कि आपका नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही है और आपके पिताजी के स्थान पर प्रत्यर्थीगण अकेले खातेदार दर्ज होने की जानकारी हुई, जानकारी होने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल के लिए दिनांक 15.06.2023 को आवेदन किया जिस पर नकल तैयार होकर प्राप्त हुई तब उसको पढवाने से अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी हुई। इसके पश्चात् अपीलार्थीनी ने अपना अभिभाषक नियुक्त किया गया तथा अपील तैयार करवाकर जानकारी से यह अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। अपील को पेश करने मे जानबूझकर कोई देरी नही की गई है। ऐसी स्थिति मे अपीलार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मयाद शुमार करने का आदेश फरमावे एवं अपील के प्रस्तुत करने मे हुई देरी की माफी दिये जाने का आदेश फरमावे।

अपीलार्थीनी के उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 4 की ओर से जवाब मय दस्तावेजात् प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अपीलाण्ट द्वारा खरीददारान को पक्षकार नही बनाने दिवानी न्यायालय से स्थगन आदेश जारी होने राजस्व वाद विचाराधीन होने अपीलाट के स्वय द्वारा दिनांक 23.04.2018 को 02 बीधा जमीन खरीद करने की जानकारी होने एव फौतेदगी नामांतरकरण की जानकारी होने के आधारो पर अपीलाट की धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने एव अपील को मियाद बाहर मानते हुए अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया ।

इसी प्रकार प्रत्यर्थीनी सं. 5 के द्वारा भी अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र का जवाब मय दस्तावेजात् प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थीनी द्वारा सर्वथा झूठे अभिवचन सशपथ न्यायालय हाजा के समक्ष किये गये है जिस कारण उसके विरूद्ध अलग से दाण्डिक कार्यवाही अमल मे लायी जावे। अपीलार्थीनी के मुख्यमंत्री राहत कैम्प मे अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु जाने पर सर्वप्रथम आलौच्य नामान्तरकरण की जानकारी होने

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

को तथ्य से इंकार किया गया है एवं कथन किया गया है कि अपीलार्थीनी को आलौच्य नामान्तरकरण की शुरू से जानकारी रही है, जो नामान्तरकरण पारित करते समय अपीलार्थीनी तथा फैफी देवी की सहमति रही है एवं उनकी सहमति के आधार पर ही देवाराम के पांचो पुत्रो के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण पारित किया गया एवं किन्तु उसके बावजूद अपीलार्थीनी द्वारा विहित समयावधि मे हस्तगत अपील प्रस्तुत नही की गई है। यह भी अपने जवाब मे प्रत्यर्थीनी द्वारा उल्लेखित किया गया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किये जाने के पश्चात् अनेको बार मुख्यमंत्री राहत कैम्प तथा अन्य सरकारी तथा राजस्व कैम्प कृषि अनुदान के वितरण तथा अन्य सुविधाओ हेतु लगते रहते है जिन सभी कैम्पो मे भी अपीलार्थीनी को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी होना स्वाभाविक है। किन्तु अपीलार्थीनी द्वारा सर्वथा झूठे तथ्यो के आधार पर मात्र अपील को जानकारी के आधार पर म्याद के अन्दर लाने हेतु इस प्रकार के सशपथ अभिवचन न्यायालय के समक्ष किये है जिस कारण अपीलार्थीनी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही भी की जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति मे अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को झूठे तथा निराधार तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किये जाने तथा जानकारी होने के बावजूद 37 वर्ष पश्चात् जानकार म्याद बाधित रूप से अपील प्रस्तुत किये जाने के कारण निरस्त फरमाया जावे एवं अपील अपीलार्थीनी भी निरस्त फरमायी जावे।

हमने बहस उभय पक्षकारान् सुनी। अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस मे यह निवेदन किया गया कि अपीलार्थीनी को अपीलाधीन नामान्तरकण की पूर्व मे कोई जानकारी नही थी एवं दिनांक 03.06.2023 को मुख्यमंत्री राहत कैम्प मे कृषि अनुदान का रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु जाने पर अपीलार्थीनी को कहा गया कि आपका नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही है और आपके पिताजी के स्थान पर प्रत्यर्थीगण अकेले खातेदार दर्ज है। जिस पर अपीलार्थीनी द्वारा अपीलाधनी नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 15.06.23 को आवेदन करने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण प्राप्त हुआ एवं उसके द्वारा जानकारी के आधार पर आलौच्य नामान्तरकरण को निरस्त करने हेतु यह अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है। जिस कारण अपीलार्थीनी का धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलार्थीनी स्वीकार फरमाई जावे।

प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनी बहस मे कहा गया कि अपीलार्थीनी को शुरू से अपीलाधीन नामान्तरकण की जानकारी रही है एवं उसके द्वारा मात्र झूठे एवं निराधार तथ्यो के आधार पर धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रत्यर्थीगण द्वारा जवाब के साथ संलग्न दस्तावेजात् से स्पष्ट है कि अपीलार्थीनी को प्रार्थना पत्र मे वर्णित दिनांक से काफी वर्षो पूर्व ही अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी रही थी किन्तु उसके बावजूद अपीलार्थीनी द्वारा विहित समयावधि के भीतर भीतर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत नही की गई एवं ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष म्याद बाधित अपील प्रस्तुत करने हेतु कोई भी सद्भाविक एवं ठोस कारण वर्णित किया गया है जबकि म्याद बाधित अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु एक एक दिन का स्पष्ट कारण दर्शित किया जाना आवश्यक है अन्यथा म्याद बाधित अपील को अन्दर म्याद शुमार नही किया जा सकता है।

हमने बहस पक्षकारान् सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो एवं विधिक स्थिति का अवलोकन किया गया। सी.पी.सी. की धारा 41 (3) (क) तथा माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयो द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जाना आवश्यक है। इस अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे यह दर्शाया है कि अपीलार्थीनी को दिनांक 03.06.23 को मुख्यमंत्री राहत कैम्प मे जाने पर यह जानकारी हुई कि राजस्व रेकर्ड मे उसका नाम नही है जिस पर दिनांक 15.06.23 को नामान्तरकरण हेतु आवेदन करने पर सर्वप्रथम उसे अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी हुई एवं जानकारी के आधार पर अपील अन्दर म्याद

प्रशासन गांव के संग अभियान / उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत है। जबकि प्रत्यर्थीनी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजात् से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीनी द्वारा प्रत्यर्थीनी सं. 5 से वादग्रस्त भूमि मे प्रत्यर्थीनी सं. 5 का 1/5 हिस्सा मानते हुए अपने पुत्र कालूराम बहैसियत आम मुख्त्यार प्रत्यर्थीनी सं. 5 के 2 बीघा भूमि खरीद की गई थी जिस बैचाननामे के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमे अपीलार्थीनी द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 81 मे प्रत्यर्थीनी सं. 5 का 1/5 हिस्सा यानि 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि निहित है एवं वह उसके मालिकाना, कब्जाकाश्तसुदा आयी हुई है। इसी बैचाननामे मे यह भी स्पष्टतः लिखा हुआ है कि उक्त बैचानसुदा खातेदारी भूमि से संबंधित जमाबंदी, ट्रेस नक्शा, असल आम मुख्त्यारनामा एवं इससे संबंधित तमाम दस्तावेज सौंप दिये गये है। इसके अलावा प्रत्यर्थीनी सं. 5 द्वारा प्रस्तुत वाद मे यह प्रत्यर्थीनी सं. 5 द्वारा यह स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि वादग्रस्त खसरा सं. 74 तथा 81 मे वादीनी का 1/5 हिस्सा बनता है जो उसे उसके पिता से विरासत मे प्राप्त हुआ है एवं उसमे अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत वादोत्तर मे इस तथ्य का अपीलार्थीनी द्वारा कोई स्पष्ट खण्डन नही किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीनी को अपीलाधीन नामान्तरकरण तथा वादग्रस्त भूमियो की जमाबन्दी मे देवाराम जी के पांचो पुत्रो का नाम दर्ज होने की जानकारी बरवक्त बैचान तथा उससे पूर्व से रही है। किन्तु उसके बावजूद अपीलार्थीनी द्वारा विधि द्वारा विहित समयावधि के भीतर भीतर अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण करीब 37 वर्ष पूर्व पारित किया गया था जिसकी जानकारी अपीलार्थीनी को नही होना स्वीकार योग्य नही है। अपीलार्थीनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे जो आधार बताया गया है वह कत्तई सद्भाविक प्रतीत नही होता है एवं प्रत्यर्थीगण का यह कथन सही प्रतीत होता है कि अपीलार्थीनी का अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी पूर्व से ही थी किन्तु उसके द्वारा जानबूझ कर विहित समयावधि मे उसे चुनौती नही दी गई है। इसके अलावा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि असाधारण विलंब को मात्र सिम्पेथी के आधार पर क्षमा नही किया जाना चाहिए एवं ऐसे विलंब मे अपीलार्थी को विलंब के बाबत् दिन प्रतिदिन का कारण बताया जाना आवश्यक है एवं ऐसा कारण सदभाविक होना भी आवश्यक है। किन्तु अपीलार्थीनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित कारण किसी भी रूप से सद्भाविक प्रतीत नही होता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण 37 वर्ष पूर्व पारित किया गया तब से लेकर आज तक अपीलार्थीनी द्वारा, किसी भी कैम्प मे जाकर अनुदान की मांग नही की जाने की बात पूर्णतः असद्भाविक प्रतीत होती है।

अतः–इस प्रकार समग्र विवेचन के पश्चात् हमारी विनम्र राय मे यह अपील असाधारण रूप से म्याद बाधित रूप से प्रस्तुत होने के कारण म्याद के बिंदु पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(पुखराज कांसोटिया)RAS
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लूणी

यह निर्णय आज दिनांक 28/11/2023 को खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

तैयारकर्ता
मिलानकर्ता

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner